



भारत सरकार/Govt. Of Indi

वित्त मंत्रालय/राजस्व विभाग/Ministry Of Finance, Deptt. Of Revenue

कार्यालय प्रधान आयुक्त जयपुर- केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क

Office of The Pr. Commissioner, CGST & Central Excise – Jaipur

मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, जयपुर, राज. -302005

HQ: NCRB, Statue Circle, C-Scheme, Jaipur – 302005 (Raj.)

फोन न. 0141-2385104

स्थापना शाखा

ई-मेल : commr-cexjpr@nic.in

कार्यालय आदेश संख्या:- 17/2024

दिनांक :- .11.2024

केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर में उप/सहायक आयुक्तों के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित होने की स्थिति में, पूर्व में अनुमोदित नामांकन श्रृंखला रखने वाली एक सुपरिभाषित व्यवस्था बनाने के लिए, निम्नानुसार नामांकन श्रृंखला (लिक ऑफिसर) का अनुमोदन किया जाता है :-

क्र. सं	उप/सहायक आयुक्त	प्रथम नामांकित लिक अधिकारी	द्वितीय नामांकित लिक अधिकारी
1	Sh. Rajesh Agarwalla, AC	Sh. Maninder Jain, AC	Sh. Rati Ram Meena, AC
2	Sh. Gopi Chand Bansal, AC	Sh. Verma Rajendra Prasad, AC	Sh. Maninder Jain, AC
3	Sh. Maninder Jain, AC	Sh. Gopi Chand Bansal, AC	Sh. Rajesh Agarwalla, AC
4	Sh. Rati Ram Meena, AC	Sh. Gokul Chand Meena, AC	Sh. Rajesh Agarwalla, AC
5	Sh. Verma Rajendra Prasad, AC	Sh. Gopi Chand Bansal, AC	Sh. Maninder Jain, AC
6	Sh. Gokul Chand Meena, AC	Sh. Rati Ram Meena, AC	Sh. Rajesh Agarwalla, AC
7	CGST & CX, DIV-A, Jaipur	CGST & CX, DIV-B, Jaipur	CGST & CX, DIV-C, Jaipur
8	CGST & CX, DIV-B, Jaipur	CGST & CX, DIV-C, Jaipur	CGST & CX, DIV-A, Jaipur
9	CGST & CX, DIV-C, Jaipur	CGST & CX, DIV-B, Jaipur	CGST & CX, DIV-A, Jaipur
10	CGST & CX, DIV-D, Jaipur	CGST & CX, DIV-E, Jaipur	CGST & CX, DIV-H, Jaipur
11	CGST & CX, DIV-E Jaipur	CGST & CX, DIV-G, Jaipur	CGST & CX, DIV-D, Jaipur
12	CGST & CX, DIV-F, Jaipur	CGST & CX, DIV-I, Jaipur	CGST & CX, DIV-G, Jaipur
13	CGST & CX, DIV-G, Jaipur	CGST & CX, DIV-D, Jaipur	CGST & CX, DIV-F, Jaipur

14	CGST & CX, DIV-H, Jaipur	CGST & CX, DIV-I, Jaipur	CGST & CX, DIV-E, Jaipur
15	CGST & CX, DIV-I, Jaipur	CGST & CX, DIV-F, Jaipur	CGST & CX, DIV-G, Jaipur
16	CGST & CX, DIV-J, Ajmer	CGST & CX, DIV-K, Ajmer	CGST & CX, DIV-I, Jaipur
17	CGST & CX, DIV-K, Ajmer	CGST & CX, DIV-J, Ajmer	CGST & CX, DIV-C, Jaipur

नोट:

1. उक्त व्यवस्था में लिंक ऑफिसर्स के अनुपस्थित होने की स्थिति में अतिरिक्त कार्यभार के लिए अलग से आदेश जारी नहीं किए जाएंगे।
2. उक्त आधार पर संभागीय उप/सहायक आयुक्तों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में अधीक्षक स्तर पर लिंक ऑफिसर व्यवस्था लागू की जाएगी।
3. यह व्यवस्था प्रत्येक अधिकारी को प्रदत्त आरटीआई एवं अन्य कार्यभार से सम्बंधित उत्तरदायित्वों के लिए भी सामान रूप से लागू होगी।
4. कोई भी अधिकारी अवकाश/यात्रा/प्रशिक्षण पर जाने से पूर्व अपने लिंक अधिकारी को कार्यभार सौंपने के बाद ही प्रस्थान करें।

यह आदेश प्रधान आयुक्त महोदय की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

(ऋषि यादव)
अपर आयुक्त (का. एव.
सत.)

प्रतिलिपि :-

1. अपर आयुक्त (सी.सी.ओ), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर।
2. अपर /संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर।
3. उप/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग _____ जयपुर /अजमेर।
4. मुख्य लेखाधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर।
5. शाखा प्रभारी _____, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर।
6. विभागीय वेबसाइट <https://cgstjaipur.gov.in/> पर अपलोड हेतु।
7. निजी प्रति।